Print Date:-08/Dec/2025 10:35 AM

Signature Not Verified

Digitally signed by: Mr Bhuwan Chandra Joshi
Reason :SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 08-12-2025 10:35:36

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025-2026)

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - S25120130007

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 05-DEC-2025

लेखा शीर्षक -

4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	**03**	छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
051	निर्माण	**04**	नगरों का समेकित विकास
01	मलिन बस्ती विकास / नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास		

4	2	1	7	0	3	0	5	1	0	4	0	1	Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	53-वृहद निर्माण	97088000	1562100	0	98650100
	योग	97088000	1562100	0	98650100

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 15,62,100 (Rupees Fifteen Lacs Sixty Two Thousand One Hundred Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2512:0005

Approval Status : e-Sign letter

संख्या– /**IV(2)**-श0वि0–2024–14(सा0)/2024 (73101)

प्रेषक,

संतोष बड़ोनी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक दिसम्बर, 2025

विषयः अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–2026 में नगर निगम, अल्मोड़ा के क्षेत्रान्तर्गत एन0टी0डी0 धार की तूनी मैग्नेसाइट के पास से बियर शिवा स्कूल होते हुए एन0टी0डी0 की ओर आने वाली सी0सी0 मार्ग के पुनर्निर्माण कार्य हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 262470, दिनांक 23.12.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगर निगम, अल्मोड़ा के क्षेत्रान्तर्गत एन0टी0डी0 धार की तूनी मैग्नेसाइट के पास से बियर शिवा स्कूल होते हुए एन0टी0डी0 की ओर आने वाली सी0सी0 मार्ग के पुनर्निर्माण कार्य हेतु रू0 74.48 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 20.856 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2– उक्त स्वीकृत कार्य हेतु प्राप्त न्यूनतम निविदा रू0 74.41 लाख में से निकाय अंश रू0 22.34 लाख तथा प्रथम किश्त की धनराशि रू0 20.856 लाख को घटाने के उपरान्त रू0 31.214 लाख की धनराशि स्वीकृति हेतु अवशेष है।

3– उपरोक्त के क्रम में अपर निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्रांक–3194, दिनांक 26.09.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर निगम, अल्मोड़ा के क्षेत्रान्तर्गत एन0टी0डी0 धार की तूनी मैग्नेसाइट के पास से बियर शिवा स्कूल होते हुए एन0टी0डी0 की ओर आने वाली सी0सी0 मार्ग के पुनर्निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि रू0 31.214 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि **रू0 15.621 लाख (रू0 पन्द्रह लाख बासठ हजार एक सौ मात्र)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) उक्त धनराशि **रू0 15.621 लाख (रू0 पन्द्रह लाख बासठ हजार एक सौ मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर निगम, अल्मोड़ा को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम/यथा प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) प्रशासक द्वारा प्रथम किस्त में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष किये गये कार्यों का सत्यापन सक्षम प्राधिकारी से कराये जाने के उपरान्त एवं तद्नुसार कार्यों के संतोषजनक होने की स्थिति में ही द्वितीय किस्त की धनराशि का उपयोग/व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है,

File No. UD2-7/GE/1/2024-IV-2-Urban Development Department (Computer No. 73101)
Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, RO-Urban Development Section 2-ASR, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 05/12/2025 05:50 pm

उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(4) उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

(5) कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी एवं अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(6) स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

(7) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(8) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्ठियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

(9) आगणन गठित करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(10)**धनराशि का दिनांक 31.03.2026 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण, जियो टैग फोटोग्राफ्स, निकाय अंश उपयोग का प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) शासन को प्रस्तुत कर अवशेष धनराशि की मांग की जायेगी।**

(11)पूर्व निर्गत शासनादेशों दिनांक संख्या 262470, दिनांक 23.12.2024 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– उक्त के सबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक के **अनुदान सं.–13** के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0401–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास''–53– वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

5 – यह आदेश वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्याः 287566, दिनांक 31.03.2025 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई0डी0 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Digitally signed by Santosh Badoni
Date: 05-12-2025 12:02:29

भवदीय,
(संतोष बड़ोनी)
अपर सचिव।

संं0– /IV(2)-श0वि0–2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

File No. UD2-7/GE/1/2024-IV-2-Urban Development Department (Computer No. 73101)
Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, RO-Urban Development Section 2-ASR, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 05/12/2025 05:50 pm

5. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
6. नगर आयुक्त, नगर निगम, अल्मोड़ा।
7. गार्ड बुक।

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

File No. UD2-7/GE/1/2024-IV-2-Urban Development Department (Computer No. 73101)
Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, RO-Urban Development Section 2-ASR, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 05/12/2025 05:50 pm